

कार्यालय जिला पंचायत, बरेली।

पत्रांक /616/नक्शा/2024-25

दिनांक 14-2-2025

अनुज्ञा पत्र

अकाई डेवलपर/हरी कृष्णा इन्फार् इस्कट्रक्चर
पार्टनर तनुज कुमार मौर्य
पुत्र श्री धर्मवीर मौर्य निवासी -462 कटरा चौद खों पुराना शहर
पत्राचार का पता- ग्राउन्ड फ्लोर मौर्य काम्पलेक्स वीसलपुर रोड
जनपद बरेली।

विषय: आवासीय प्लाटिंग के मानचित्र की स्वीकृति के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक ग्राम अमलोनीपुर क्षेत्र पंचायत बिथरी चैनपुर तहसील सदर जिला बरेली की आराजी संख्या-439 व 440 में आवासीय प्लाटिंग के मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है जोकि जिला पंचायत बरेली के ग्रामीण क्षेत्र के अर्न्तगत आता है आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2025 के साथ संलग्न भूमि संबंधी अभिलेख, नोटरी शपथ दिनांक 29.01.2025 एवं आवासीय कालोनी (फलोवर सिटी) का मानचित्र के आधार पर जिला पंचायत बरेली में प्रभावी सरकारी गजट के अनुसार अवर अभियन्ता/अभियन्ता जिला पंचायत की आख्या अनुसार प्रस्तावित आवासीय प्लाटिंग का मानचित्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है।

1. प्रस्तावित आवासीय प्लाटिंग (फलोवर सिटी) की परियोजना गाटा संख्या-439 व 440ग्राम अमलोनीपुर क्षेत्र पंचायत बिथरी चैनपुर तहसील सदर जिला बरेली के कुल रकवा 19995 वर्ग मी0 एरिया पर प्रस्तावित है। प्रस्तावित प्लाटिंग का कार्य कुल प्लाटिंग एरिया 19995 वर्ग मी0 में ही कराया जायेगा।
2. अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है। अथवा गलत है। तो जिला पंचायत द्वारा दी मानचित्र स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। तथा निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है। अथवा सील किया जा सकता है।
3. प्रस्तावित प्लाटिंग का स्वीकृत ले आउट/तलपट मानचित्र की वैधता/अनुमन्तया स्वीकृति के दिनांक से तीन वर्ष तक के लिये ही मान्य होगी।
4. जल-मल की निकासी मुख्य/अन्य मार्ग पर न की जाये तथा सीवरेज/नाली आदि का निस्तारण प्लाटिंग के स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रस्तावित प्लाटिंग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण न किया जायें।
6. प्रस्तावित आवासीय प्लाटिंग का ले आउट प्लान/तलपट मानचित्र जिला पंचायत बरेली से स्वीकृत होने के वावजूद अन्य उन सभी विभागों से लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक हो, से अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आपका होगा।
7. प्रस्तावित परियोजना मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के संबंध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स के नियम-7 यथावत् लागू रहेगें।
8. प्रस्तावित आवासीय प्लाटिंग पूर्ण रूप से किये जाने के उपरान्त आपको इस कार्यालय द्वारा पूर्णतः प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। यह आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
9. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र में विना किसी पूर्व सूचना के मानचित्र/स्थल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन मानचित्र में प्रस्तावित है तो जिला पंचायत बरेली से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
10. प्रतिबन्ध रहेगा कि अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।
11. प्रतिबन्ध रहेगा कि कम से कम 200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल पर दो पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।

कमशः पेज.....2 पर


12. मानचित्र का परीक्षण नेशनल विल्डिंग कोड के स्ट्रक्चर प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुये ही अनुज्ञा निर्मित की जा रही है तथा अग्नि शमन/सुरक्षा संबंधी अन्य समस्त प्राविधानों (यदि अनिवार्य हो) को आवेदक को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा। जिसकी पूर्ण कराने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
13. प्रस्तावित आवासीय कालोनी स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही विकसित की जायेगी। तथा सड़क, नाली, पार्क आदि मानचित्र के अनुरूप ही अपने यथा स्थान उतनी ही लम्वाई चौड़ाई में ही निर्मित की जायेगी जितना की मानचित्र में दर्शायी गयी है।
14. प्रतिबन्ध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा उक्त विषयक निर्गत शासनादेश स्वतः प्रभावी होंगे।
15. रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. प्रस्तावित परियोजना के प्लानिंग/निर्माण के दौरान किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जायेगा। यदि भविष्य में निर्मित परियोजना पर किसी विभाग द्वारा अपनी भूमि बताया जाना या ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है तो आवेदक द्वारा किसी मा० न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।
17. प्रस्तावित परियोजना स्वामित्व संबंधी विवाद में स्वीकृत मानचित्र को स्वामित्व अभिलेख के रूप में किसी भी मा० न्यायालय में उपयोग किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा। स्वामित्व संबंधी विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। स्वामित्व संबंधी अभिलेख आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। के संबंध में पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत बरेली उत्तरदायी नहीं होगी।
18. फर्म को रेरा में पंजीकृत कराकर पंजीकरण की सूचना इस कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।
19. प्लानिंग स्वामी को नियमानुसार उपकर धनराशि श्रम विभाग में जमा कर उसकी सूचना जिला पंचायत कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।
20. प्रस्तावित आवासीय योजना का स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही आवासीय कालोनी के आंवटित/विक्रय किये गये भूखण्डों पर भूखण्ड स्वामी द्वारा प्रस्तावित भवन का मानचित्र जिला पंचायत बरेली में प्रचलित उपविधियों के अनुरूप पृथक से जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत कराने के उपरान्त ही भवन निर्माण कराया जायेगा। जिसमें जल आपूर्ति मल मूत्र एवं वेकार पानी के निस्तारण की व्यवस्था भवन स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इससे कोई सरोकार नहीं होगा।
21. परियोजना के मानचित्र में दर्शाया गया रोड साइड सेट वैक व अन्य सेट वैक पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं करेंगे ओपन रखेंगे, प्लानिंग/निर्माण कार्य रोड के मध्य से पी०डब्लू०डी० विभाग के मानक के अनुसार ही छोड़कर करना होगा। तथा अनापत्ति प्राप्त करना आवेदक का होगा।
22. परियोजना के निर्माण/संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि एवं धनहानि के लिये जिला पंचायत, बरेली का उत्तरदायित्व नहीं होगा। तथा किसी भी प्रकार की हानि के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
23. मानचित्र की स्वीकृति सरकारी गजट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित दिनांक 26.08.2023 में निहित शर्तों (संलग्न)के आधार पर की जा रही है। उक्त गजट नोटिफिकेशन में उल्लिखित शर्तों का आवेदक द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

आप द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर आपके विरुद्ध अधिनियम की धारा-240 एवं सी०पी०आर०सी० की धारा 133 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। तथा जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान/मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्न-अनुमोदित मानचित्र


अभियन्ता

जिला पंचायत बरेली।


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत बरेली।